प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

12th अगस्त, 2026

केंद्रीय रेशम बोर्ड में संपत्ति प्रबंधन पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत

केंद्रीय रेशम बोर्ड में संपत्ति प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की 2026 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट नं 26 आज संसद में पेश की गई।

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसब) की स्थापना 9 अप्रैल 1949 को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, भारत में सेरिकल्चर (रेशम उत्पादन) एवं रेशम उद्योग के विकास एवं वृद्धि की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था के तौर पर की गयी थी। सीएसब को वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने; पौषक पौधों की खेती, रेशम के कीटों के स्वस्थ बीज पालने, विकसित करने एवं बांटने के बेहतर तरीके विकसित करने; कच्चे रेशम की गुणवत्ता, उत्पादन एवं विपणन को बेहतर बनाने एवं सेरीकल्चर (रेशम उत्पादन) एवं रेशम उद्योग से जुड़े सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का काम सौंपा गया है।

सीएसब ने 2016-17 के दौरान सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल पर अपने कब्ज़े वाली 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि का विवरण अपलोड किया और अपनी वेबसाइट पर भी भूमि का विवरण अपलोड किया (जनवरी 2019 में) जिसमें भूमि प्राप्त करने के तरीके एवं उसके उपयोग की जानकारी शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 तक मौजूद 159 कार्यात्मक/परिचालित इकाईयों में से 43 एवं 2018-19 से 2022-23 के बीच बंद/विलय की गई 129 इकाईयों में से 21 इकाईयों को चुना और इन 64 यूनिट्स (यानी 43+21) द्वारा भूमि, भवनों एवं स्टाफ क्वार्टर्स के स्वामित्व, उपयोग एवं सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज़ों/जानकारी की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

संपत्ति प्रबंधन पर नीतिगत ढांचा

सीएसब के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को भेजे गए नोट में, वस्त्र मंत्रालय ने बताया था (13 मार्च 2018) कि कुल 288 इकाईयाँ थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 मार्च 2018 तक, 23 अतिरिक्त इकाईयाँ थीं जो सीएसब द्वारा दी गई 288 इकाईयों की सूची में शामिल नहीं थीं। इससे सीएसब की कार्यात्मक एवं बंद इकाईयों की संख्या की जानकारी की पूर्णता एवं सटीकता पर संदेह पैदा होता है।

जीएलआईएस एवं सीएसब की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, सीएसब के पास 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि थी। हालाँकि, संस्थानों एवं केंद्रीय कार्यालय

द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि आंकड़ों से तैयार की गई 288 इकाइयों की भूमि संबंधी जानकारी के आधार पर, सीएसब के पास 217.82 लाख वर्ग मीटर (5,382.53 एकड़) भूमि थी। केंद्रीय कार्यालय एवं संस्थानों द्वारा बताए गए भूमि डेटा में विसंगतियों और सीएसब द्वारा कोई मिलान प्रक्रिया न किए जाने को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि सीएसब के सभी इकाइयों के पास मौजूद बताई गई भूमि के आंकड़े पूरे हैं या नहीं।

सीएसब ने अपनी भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के अभिलेख रखने, उनकी देखभाल करने एवं सुरक्षा आदि के बारे में दिशानिर्देश देने के लिए कोई भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन नीति या नियमावली नहीं बनाई है। सीएसब के पास संपत्ति प्रबंधन से जुड़े कामों की देखरेख के लिए कोई संपदा विभाग नहीं था। सीएसब के पास अपनी भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के बारे में कोई सूचना प्रणाली नहीं थी।

सीएसब ने, सही आकार देने के लिए, 129 इकाईयाँ बंद कर दीं जिनमें से 22 इकाईयों के पास 7.92 लाख वर्ग मीटर (195.62 एकड़) भूमि थी। बंद या विलय की गई इकाईयों की भूमि या संपत्ति के इस्तेमाल के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। परिणामस्वरूप, नौ बंद इकाइयों की 117.21 एकड़ भूमि संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी गई और वह तीन से पांच साल तक व्यर्थ पड़ी रही।

भूमि प्रबंधन

103.44 लाख वर्ग मीटर भूमि वाली 48 इकाईयां में से, 78.56 लाख वर्ग मीटर कुल ज़मीन वाली 25 इकाईयों के मामले में सीएसब के पास स्वामित्व/बिक्री विलेख/खाता/पट्टा नहीं था। नमूने में सम्मिलित 64 इकाईयों में से, सीएसब छह मामलों में सात प्रॉपर्टीज़ (भूमि/इमारतें) पट्टे पर दी थीं, लेकिन छह में से चार मामलों में या तो पट्टे के समझौते नहीं थे या उनकी समय-सीमा खत्म हो चुकी थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी इकाईयों के कब्ज़े वाली भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, विशेषकर भूमि के हस्तांतरण/बिक्री के मामलों में। नमूने में शामिल 64 में से 49 इकाईयों में संपत्ति रजिस्टर को ठीक से अनुरक्षित नहीं किया गया था।

नमूने में सम्मिलित 43 चालू इकाईयों में से 17 इकाईयों जिनके पास कुल 40.58 लाख वर्ग मीटर भूमि थी, इनमें से 15.80 लाख वर्ग मीटर भूमि (39 *प्रतिशत*) खाली/अप्रयुक्त पड़ी थी। पांच इकाईयों में 50 *प्रतिशत* से ज़्यादा खाली भूमि थी और यह 50.81 *प्रतिशत* से 91.71 *प्रतिशत* के बीच रहा। नमूने में शामिल 21 बंद/विलय की गई इकाईयों में से, 2.88 लाख वर्ग मीटर भूमि वाली आठ बंद/विलय इकाईयों में से तीन में भूमि का इस्तेमाल न होने के मामले देखे गए।

भवनों एवं स्टाफ क्वार्टर्स का प्रबंधन

नमूना लिए गए 43 कार्यात्मक इकाइयों में से, जिनका कुल भवन क्षेत्र 14.89 लाख वर्ग फुट था, उनमें से 12 इकाइयों का 70,529 वर्ग फुट क्षेत्र बेकार पड़ा था। इसके अतिरिक्त, 26 इकाइयों के पास 626 स्टाफ क्वार्टर्स में से केवल 255 आवास ही कब्जे में थे एवं शेष 371 आवास खाली थे। साथ ही, 371 खाली आवासों में से 96 आवासों को सीएसबी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया था।

सीएसबी ने नमूने में शामिल 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से 11 इकाइयों में अपने भवनों का निर्माण किया है। इन 11 इकाइयों में से, छः इकाइयों का निर्मित क्षेत्र 79,161 वर्ग फुट था एवं शेष पांच इकाइयों का निर्मित क्षेत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से पांच में स्टाफ क्वार्टर्स की सुविधा प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा में ऐसे भवन देखे गए जो खाली थे, जर्जर हालत में थे एवं जिनका रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

संपत्ति की सुरक्षा

सीएसबी ने 48 नमूना इकाईयां, जिनमें भूमि है, में से 18 में स्वामित्व वाली भूमि के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसे कि बाड़/सीमा दीवारों को लागू नहीं किया है। उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण 86,768 वर्ग मीटर (21.44 एकड़) भूमि पर अतिक्रमण हुआ, जिसका मार्गदर्शन मूल्य लगभग ₹6.88 करोड़ है। संस्थानों या केंद्रीय कार्यालय को कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमणों की रिपोर्टिंग न करने के मामले पाए गए, जो प्रशासनिक चूक एवं आंतरिक नियंत्रण की कमी का संकेत देते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान चार इकाइयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान की गई मैपिंग (गूगल अर्थ एप्लिकेशन का उपयोग करके) एवं सीएसबी द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण डेटा की सीएसबी के भूमि अभिलेख से तुलना करने पर, यह पाया गया कि सीएसबी के पास 2.30 लाख वर्ग मीटर (56.90 एकड़) भूमि का कब्ज़ा नहीं था, जिसका मार्गदर्शन मूल्य ₹113.10 करोड़ था।

केंद्रीय रेशम बोर्ड में निगरानी तंत्र

सीएसबी ने इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध भूमि, भवनों एवं आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन नहीं किया।